न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

निर्णय दिनांकः– 12/11/2021

1. **अपील संख्याः 03/20**
(जीसीएमएस संख्या 2020/00001)

1. विनोद कुमार पुत्र दयालचन्द जाति सिंधी निवासी चक 6 पीएचडी तहसील रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2019
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री सुभाष बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2019 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस [illegible]।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अप[illegible] बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके तहसील खा[illegible] डब्ल्यूएम (ए) के मुर[illegible]बर 220/42 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 19 व 22 तादादी 11 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:31:41 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिका[illegible]
बीकानेर

अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट् का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अदालत मातहत के समक्ष स्टेट जरिये तहसीलदार द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु निर्धारित चल रहा था। जिसमें रिपोर्ट हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–08–2019 निर्धारित थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तारीख पेशी पर बिना रिपोर्ट प्राप्त किये व बिना अपीलांट्/प्रतिवादी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जोकि अदालत मातहत के लिये बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। स्टेट की तरफ से जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावे की श्रेणी में नहीं आता है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो पूर्व में न ही आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई अकृषि का कार्य अर्थात अवैद्य जिप्सम का कार्य नहीं किया गया है। इस तथ्य की ताईद संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से होती है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जिन किला नम्बर पर अदालत मातहत द्वारा अवैद्य खनन होना अंकित किया गया है, उक्त किला नम्बर पर ग्वार की फसल होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैद्य खनन होना अभिलिखित किया गया है वहीं दूसरी तरफ उन्हीं किला नम्बर पर ग्वार की फसल होने के संबंध में खसरा गिरदवारी में अंकन किया गया है। इस प्रकार संबंधित पटवारी का कथन अपने आप में [illegible] व विरोधाभासी कथन है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इनत तथ्यों की कोई जानकारी हासिल नहीं की गई व ना ही अपीलांट को किसी प्रकार का साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया हैस। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र संबंधित तहसीलदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:31:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन पर विश्वास करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात जिप्सम निकालनें का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने अपीलांट् के विरूद्व वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16–08–2019 को स्टेट का दावा स्वीकार करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2023.05.05 18:31:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अपीलांट् की मुख्य आपत्ति यह है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण वादी तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु निर्धारित चल रहा था तथा प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–08–2019 निर्धारित की गई थी, अदालत मातहत द्वारा उक्त तारीख पेशी पर बिना रिपोर्ट प्राप्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरणों में स्टेट जरिये तहसीलदार, कोलायत द्वारा अपीलांट्/प्रतिवादी के विरूद्व धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा अपनी कृषि भूमि अवैद्य जिप्सम का कार्य करते हुए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रकरण में स्टेट द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगणों को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ चुके थे तथा उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई है। जिसमें नजरी नक्शें में अवैद्य जिप्सम का कार्य अंकित करते हुए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि मौके पर जिप्सम से भरा ट्रक पकड़ा गया व ट्रक डाईवर मौके पर फरार हो गया। अवैद्य रूप से भरे जिप्सम के ट्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना खाजुवाला [illegible] किया गया। मौके पर पकड़े गये अवैद्य जिप्सम से भरे ट्रक में [illegible] जिप्सम भरा हुआ था। उक्त रिपोर्ट के खण्ड [illegible] में अपीलांट द्वारा [illegible] गिरदावरी संवत् 2072 प्रस्तुत की गई है, परन्तु ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि अपीलांट् द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramiswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:31:41 IST
Reason: SelfAttested

अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलांट् ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करते हुए अवैध जिप्सम निकालने का कार्य किया है, अर्थात कृषि प्रयोजनार्थ भूमि की किस्म में परिवर्तन करते हुए कृषि से अकृषि कार्य किया हुआ है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अदालत मातहत द्वारा की गई प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों का ध्यान न्यायालय की तरफ आकर्षित किया गया है, अपीलांट् द्वारा अपनी अपील में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि अवैद्य जिप्सम निकालने का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान/धारा 177 जिसके अनुसार **Ejectment for detrimental act of breach of condition (1) A tenant shall on the applications of the landholder, be liable to ejectment from his holding:- (b) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contrary to the provisions of this Act, liable to be ejected.,** के विपरीत होने के कारण व उक्त धारा का उल्लंधन होने के कारण अपीलांट् मात्र तकनीकी बिन्दुओं अथवा अदालत मातहत द्वारा गई प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों का सहारा लेकर प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/11/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:31:41 IST
Reason: SelfAttested

12/11/21

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

विनोद कुमार बनाम सरकार
(अपील संख्या 03/20)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
मुवर्खे 16–08–2019

यह अपील ब–तारीख 12 माह 11 सन् 2021 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री सुभाष बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट् व श्री मिलापचन्द धतरवाल राजकीय अभिभाषक पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2019 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12 माह 11 सन् 2021 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:31:41 IST
Reason: SelfAttested